कार्यालय, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०

विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226007

वेबसाइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com, ईमेल: upefaspo@gmail.com, दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित परिषद् के विभिन्न मॉड्युलों की समीक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

महानिदेशक स्कूल शिक्षा,उ0प्र0 के पत्रांकः महानिदेशक/बे0सि0प0/ले0सं0– मा0स0–अधि0/3305–16/25–26 दिनांक 09 जून, 2025 के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित ऑन लाइन पोर्टल पर संचालित मॉड्यूल के सम्बन्ध में समीक्षा एवं सुझाव के सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे, राज्य परियोजना कार्यालय, सभाकक्ष में महानिदेशक स्कूल शिक्षा,उ0प्र0 की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:–

1. श्री राकेश सिंह, वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. श्री संजय उपाध्याय, उप निदेशक (प्रा0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0 के प्रतिनिधि।
3. श्री दुर्गेश कुमार सिंह, वरि0वि0 एवं लेखा0, बे0शि0 परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. श्री राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।
5. श्री अनिल कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिर्जापुर।
6. श्री सुनील चौधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, भदोही।
7. श्री अभिषेक यादव, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), गाजीपुर।
8. श्री अमित कुमार, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), मिर्जापुर।
9. श्री अमन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), भदोही।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय से **एम0आई0एस0 यूनिट प्रभारी श्री शैलेन्द्र वर्मा** एवं **श्री अजीम अहमद, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट** तथा एन0आई0सी0 से **श्री नितिन सोनकर, प्रोग्रामर** एवं उनकी टीम के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, अलीगढ अनुपस्थित रहे। वित्त एवं लेखाधिकारी अलीगढ़ द्वारा किसी कार्मिक को बैठक में प्रेषित किया गया था जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए **वित्त एवं लेखाधिकारी अलीगढ़ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को बैठक में अनुपस्थित रहे पर स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया गया।**

उक्त बैठक में विभिन्न ऑन लाइन मॉड्यूल यथा–जी0पी0एफ0 मॉड्यूल, सेवालाभ मॉड्यूल, वेतन मॉड्यूल, एरियर मॉड्यूल, चयन वेतनमान मॉड्यूल आदि में कतिपय विसंगति के फलस्वरूप होने वाले मूलभूत समस्याओं एवं उसके सुझाव के साथ उसकी समीक्षा हेतु उपरोक्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारियों को स्थानीय संदर्भ के साथ विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था। उपस्थित प्रतिभागियों व एम0आई0एस0 यूनिट/श्री शैलेन्द्र वर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रभारी मानव सम्पदा यूनिट, समग्र शिक्षा के स्तर से वर्तमान मॉड्यूल में निम्न संशोधन हेतु सहमति/सुझाव दिये गये–

1. चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान–

   बैठक में सर्वप्रथम चयन वेतनमान के विद्यमान ऑनलाइन मॉड्यूल पर चर्चा की गई, जिससे यह ज्ञात हुआ हुआ कि किसी भी जनपद में ऑन लाइन मॉड्यूल से उक्त सेवालाभ स्वीकृति नहीं हो पा रही है। विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्षित किया गया कि–"चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के मॉड्यूल, शासनादेश के प्राविधानों के अनुरूप ही तैयार किए जाए। पूर्व में जिस प्रकार चयन वेतनमान की स्वीकृति की जाती थी, उसीप्रकार ऑन–लाइन मॉड्यूल विकसित किए जाए।" इस सम्बन्ध में पोर्टल पर संशोधन हेतु निम्न अतिरिक्त सुझाव भी प्राप्त हुए–

   1. परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवा पुस्तिका भौतिक के साथ–साथ ऑन लाइन भी अनिवार्य रूप से पूर्ण हो। इस सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित ऑन लाइन प्रस्ताव में यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऑन लाइन सेवा पुस्तिका पूर्ण है।

L.PC
21/6/25

2. सेवा पुस्तिका के ऑन लाइन हस्तान्तरण के दौरान सम्बन्धित जनपद/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि ऑन लाइन सेवा पुस्तिका में उक्त जनपद की समस्त प्रविष्टियों पूर्ण कर ली गई हैं।
3. ऑनलाइन एल0पी0सी0 हस्तान्तरण से पूर्व एल0पी0सी0 में सम्बन्धित जनपद में आयकर की कटौतिया एवं अवशेष वेतन यदि कोई हो का पूर्ण विवरण भी अंकित कर दिया जाय।
4. वर्तमान में प्रत्येक माह चयन वेतनमान के प्रकरणों को अग्रसारित करने के स्थान पर अग्रिम आदेशों तक राजकीय कर्मचारियों पर प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण तैयारी के साथ प्रत्येक वर्ष माह जनवरी व माह जुलाई में चयन वेतनमान सम्बन्धी प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाय।
5. पोर्टल पर यह व्यवस्था हेतु सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यदि चाहें तो अपने स्तर से पत्रावली परामर्श हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को संदर्भित कर सकते हैं। जिसपर परामर्श के उपरान्त पत्रावली अन्तिम निर्णय हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वापस कर दी जायेगी, जहाँ से स्वीकृति आदेश निर्गत होने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर से उसकी पृविष्टि सेवा पुस्तिका में करते हुए वेतन निर्धारण का परीक्षण वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से कराते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को प्रोन्नत वेतनमान जिसमें सेवालाभ एक समिति के माध्यम से दिया जाता है, के सम्बन्ध में भी पोर्टल पर प्रावधान हेतु एन0आई0सी0 की टीम को अनुरोध किया गया।

तदनुसार अन्य परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में भी एन0आई0सी0 की टीम से विचार विमर्श कर त्रुटियों का निवारण 15 दिनों में करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिये गय, जिसपर एन0आई0सी0 की टीम द्वारा सहमति देते हुए आश्वासन दिया गया।

2. <u>वेतन एवं एरियर मॉड्यूल–</u>

इस सम्बन्ध में वित्त एवं लेखाधिकारियों के स्तर से वेतन मॉडयूल में निम्न कमियों को इंगित करते हुए सुधार हेतु अनुरोध किया गया–

1. वेतन एवं एरियर सम्बन्धी ऑन लाइन मॉड्यूल मे खण्ड शिक्षा अधिकारी के अग्रसारण के उपरान्त सीधे आहरण वितरण अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी के पोर्टल पर विवरण अंकित हो जाता है, जबकि उसके पहले पटल सहायको के पास विवरण आना चाहिए, जिसके परीक्षण के उपरान्त आहरण/वितरण अधिकारी को अग्रसारित करें। इस हेतु कार्यालय–वित्त एवं लेखाधिकारी स्तर पर एक से ज्यादा एल–1 नामित करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया, जिससे एन0आई0सी0 व एम0आई0एस0 से सम्बन्धित उपस्थित सदस्य सहमत थे।
2. वित्त एवं लेखाधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि एन0पी0एस0 की 10 प्रतिशत कटौती आटो जनरेट नहीं होती है।
3. जी0पी0एफ0 अग्रिम की कटौती की किश्तों की संख्या जनरेट नहीं होती है, स्टॉप सैलरी की धनराशि प्रदर्शित नहीं होती।
4. मासिक वेतन रिपोर्ट में कर्मचारी की जन्मतिथि एवं नियुक्ति तिथि प्रदर्शित नहीं होती।
5. निलम्बन के दौरान देय वेतन के अंकन का कोई विकल्प नहीं है, जिससे 50 प्रतिशत देय जीवन निर्वाह भत्ता हेतु वर्किंग डे के आधार पर वेतन के साथ–साथ मकान किराया भत्ता भी 50 प्रतिशत हो जाता है, इस त्रुटि को दूर करने हेतु एन0आई0सी0 को सुझाव दिया गया।
6. वेतन मॉड्यूल में <u>"वैरिएशन रिपोर्ट"</u> को और परिष्कृत कर उपयोगी बनाने व <u>वेतन के परिमाण में किसी भी प्रकार के संशोधन आहरण वितरण अधिकारी के अनुमोदन</u> के उपरान्त ही किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान हेतु निर्देशित किया गया।
7. एरियर की स्वचालित गणना व एरियर भुगतान के समय किसी नई वेनीफिशरी जो वेतन मॉडयूल से अलग हो को परमिट न करने व अलर्ट प्रेषित करने तथा वेतन मॉडयूल में भी वैंक खाता आई0एफ0सी0 कोड व बेनीफिशरी का <u>अनुमोदन सक्षम स्तर</u> से प्राप्त करने के उपरान्त उसके विवरण अंकन के साथ ही संशोधित/जोड़ने की अनुमति दी जाय।

8. मानव सम्पदा पोर्टल पर उपस्थिति नहीं लॉक होने एवं एक दिवसीय वेतन कटौती सम्बन्धी अवशेष प्रकरणों की संख्या कुल अवशेष प्रकरणों की संख्या में 50 प्रतिशत से ज्यादा होती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में प्रसारित विभागीय निर्देशों के अनुरूप जबतक सक्षम स्तर से नियम संगत आदेश नहीं पारित होते, वेतन कटौती पर रोक हेतु सुझाव दिये गये। जबतक किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में अवकाश उपलब्ध है, विशेषकर आकस्मिक अवकाश तबतक वेतन कटौती का कोई औचित्य नहीं पाया जाता।

9. खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर से एरियर अवशेष देयकों के साथ अभिलेखों के सम्बन्ध में यह घोषणा होनी चाहिए, जिसमें यह अंकित हो कि अवशेष के आवेदन में जो साक्ष्य/अभिलेख संलग्न किए गये हैं, उनका कार्यालयी अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है, जो सही है।

10. एरियर मॉडयूल में नेचर ऑफ एरियर मॉडयूल को खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ–साथ वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में भी डिस्प्ले हेतु सुझाव दिया गया। नेचर ऑफ एरियर ड्राप डाउन में ''प्री–ऑडिट एरियर'' को भी जोड़ने हेतु सुझाव दिया गया।

तदनुसार अन्य परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में भी एन0आई0सी0 की टीम से विचार विमर्श कर त्रुटियों का निवारण 15 दिनों में करते हुए पुनः प्रदर्शन हेतु सुझाव दिये गय, जिसपर एन0आई0सी0 की टीम द्वारा एरियर की स्वचालित गणना को छोड़कर सहमति देते हुए आश्वासन दिया गया।

3. <u>जी0पी0एफ0 माडयूल–</u>

- जी0पी0एफ0 माडयूल में शिक्षकों के आवेदन पर ऑन लाइन स्वीकृति की प्रकिया का प्रदर्शन किया गया जिसमें सामान्यतः प्रकिया स्वीकृति योग्य पायी गई और कतिपय जनपदों द्वारा स्वीकृति भी ऑन लाइन माडयूल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
- शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों की ऑन लाइन लेखा पर्ची के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान एन0आई0सी0 के स्तर से अवगत कराया गया कि डी0डी0ओ0 पोर्टल व मानव सम्पदा पोर्टल के एकीकरण न होने से अभी ऑन लाइन लेखा पर्ची निर्गत किए जाने में समस्या है, जिसपर निरन्तर विचार करते हुए प्रयास हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसमें किसी भी समस्या आने पर तत्काल सम्बन्धित माडयूल के प्रभारी को सूचित करते हुए सुधार की कार्यवाही हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के अलावा एन0आई0सी0 डेवलपर टीम द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न मॉडयूल पर सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक एवं विचार विमर्श हेतु सुझाव दिया गया। जिसपर श्री शैलेन्द्र वर्मा, खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रभारी मानव सम्पदा को निर्देशित किया गया कि बैठक मे प्रतिभागी समस्त सदस्यों का एक वाट्सैप ग्रुप बनाकर इनपुट प्राप्त कर आवश्यक संशोधन आदि की कार्यवाही करते हुए ऑन लाइन पोर्टल को और अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाया जाय साथ ही पोर्टल संबंधी बैठक भी समय–समय पर आयोजित की जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक

<u>पृष्ठां0संख्या–बे0शि0प0–अधि0/ मा0स0पो0/3951-56 /2025–26 प्रया0। दि0 19 .06.2025</u>

<u>प्रतिलिपि–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) ,उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिला बे0शि0अधि0/वित्त एवं लेखा0 जनपद– मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़।
4. श्री ए0के0 रावत, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
5. प्रभारी एम0आई0एस0 यूनिट, राज्य परियोजना कार्यालय।
6. श्री शैलेन्द्र वर्मा, प्रभारी मानव सम्पदा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।